न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 71/2024

जी.सी.एम.एस. नं.: 2024/140

1. नक्षत्र सिंह पुत्र करनैल सिंह निवारी 23 जीबी तहसील श्रीविजयनगर

—प्रार्थी

बनाम

1. सरदूल सिंह
2. जगदीश सिंह
3. बलवीर सिंह
4. सतनाम सिंह

पिसरान चरण सिंह निवासी 23 जीबी तहसील श्रीविजयनगर

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व विजयनगर।
6. उप पंजीयक

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

1. **श्री सुखदेव सिंह बुट्टर, अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री गुलशन सेतिया, अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1 से 4**
3. **राजपैरोकार**

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 11.08.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है प्रार्थी के नाम से तहसील श्री विजयनगर के चक 23 जी.बी. का प.नं. 159/411 मु.नं. 38 का किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/3, 6/2 = 1.282 है. नहरी मय खाला व प.नं. 166/413 मु.नं. 59 का किला नं. 5, 6, 15, 16, 24, 25 1.518 है. नहरी कुल 2.800 है. नहरी मय खाला खातेदारी रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित धारण की भूमि चक 23 जी.बी. मु.नं. 38 प.नं. 159/411 के किला नं. 1/1 ता 6/2 भूमि के साथ ही अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से मुश्तरका संयुक्त खाता में इस रकबा का किला नं. 5/2 में 0.0050 है., 6/1 का 0.2310 है., 15/2 का 0.0220 है. कुल 0.2580 है. नहरी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के पास उपरोक्त वर्णित रकया जो मु.नं. 38 प.न. 159/411 के किला नं. 1 ता 5 जो पूर्व से पश्चिम चल रहे सरकारी खाला के साथ साथ का रकबा है एवं किला नं. 6/2 में जो 0.022 है. उत्तर से दक्षिण किला नं. 7 के चिपता भूमि है। जिसके किला नं. 5 का जो अप्रार्थीगण का मुश्तरका दर्ज रकबा 0.0050 है. नहरी भूमि किला नं. 6 के चिपता पूर्व से पश्चिम दिशा का हिस्सा है। जिसके किला नं. 6 में प्रार्थी के उक्त दर्शाये किला नं. 7 के चिपता 2 बिस्वा उतर से दक्षिण को छोड़ कर पश्चिम दिशा में शेष अप्रार्थीगण का है। प्रार्थी अपने वर्णित रकबा पर मालिक काबिज अपनी सुविधा अनुसार उपयोग उपभोग करते हुए सुधार कर जिसके मु.नं. 38 प.न. 159/... किला नं. 5 की भूमि के दक्षिण दिशा में जो खाला पूर्व से पश्चिम है ... खाला की भूमि को छोड़ कर प्रार्थी का उतर साइड ... (... सहित) स्थापित किया हुआ है। जिससे प्रार्थी ... सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। प्रार्थी के उक्त अनुसार दर्शाये अनुसार ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण का अपना अपना रकबा राजकीय तरमीम से दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है। लेकिन अप्रार्थीगण जो कि प्रार्थी के खेत पडौसी व किला नं. 5 व 6 में उक्त अनुसार दर्शाये हिस्सा भूमि से हटकर तथा राजकीय तरमीम के खिलाफ जाकर आये रोज तरह तरह से प्रार्थी के खातेदारी भूमि में अनावश्यक दखल अंदाजी व कब्जा

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

काश्त में बाधा, अवरोध पैदा किया जा रहा है। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी के धारित उपरोक्त अनुसार कब्जा काश्त भूमि में अप्रार्थीगण जो कि लडाई झगड़ा व झगडालू प्रवृति के होने के कारण बेजा दखल अंदाजी से बाज नहीं आने पर तथा प्रार्थी को इसी तरह तंग परेशान करते रहने की धमकी देने पर आखिरकार प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.09.2024 को रोबरू मौजिज व्यक्तियों की पंचायत कर अप्रार्थीगण से समझाईश कर तथा उक्त अनुसार प्रार्थी के दर्ज रिकॉर्ड तथा मौका कब्जा अनुसार चले आ रहे कब्जा काश्त रकबा में आयन्दा कोई दखल अंदाजी व बेजा मदाखलत नहीं करने का कहा जाने पर अप्रार्थीगण स्पष्ट इन्कार हो गये व धमकी दी कि हम तो किसी मौका कब्जा काश्त व तरमीम को नहीं मानते कहते कि जबरन बल पूर्वक किसी तरह प्रार्थी के रकबा कब्जा काश्त में व्यवधान व बाधा कर तंग परेशान करते रहेगे। यही बिनाए मुखास्मत है। प्रार्थी अपने वर्णित अनुसार खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड भूमि का मालिक काबिज व दर्शाये राजकीय तरमीम से उपयोग उपभोग करता आ रहा है। परन्तु अप्रार्थीगण अनावश्यक तरीके से वाद विवाद पैदा कर व्यवधान पैदा किया जा रहा है, यदि अप्रार्थीगण द्वारा किसी गैर कानूनी कृत्य से प्रार्थी के खातेदारी रकबा के दर्ज राजस्व रिकॉर्ड व तरमीम तथा कब्जा काश्त में कोई जबरदस्ती परिवर्तन आदि किया जाता है तो प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा। इसलिए प्रार्थी अपने खातेदार टीनेन्ट अधिकारों की रक्षा के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने व अनवानी वाद लाने का विधिक अधिकारी है। प्रकरण के तथ्यों व साक्ष्य सबूत से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार का है एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर तहरीर होकर अन्दर मियाद पेश है। राजस्थान सरकार भू–धारक होने के कारण से आवश्यक पक्षकार है इसलिए अप्रार्थी संख्या 5 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थी के खातेदारी रकबा तहसील श्री विजयनगर के चक 23 जी.बी. का प.नं. 159/411 मु.नं. 38 का किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/3, 6/2 = 1.282 है. नहरी मय खाला खातेदारी रकबा में से किला नं. 5/1 के 0.223 है. नहरी व 5/3 का 0.025 है. खाला तथा किला नं. 6/2 के 0.022 है. नहरी खातेदारी रकबा के मौका कब्जा काश्त तरमीम अनुसार में कोई मदाखलत बाधा पैदा नहीं कर मौका तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 4 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए अप्रार्थीगण 2 ता 4 सयुंक्त रूप से तथा अप्रार्थी सं. 1 जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से राजस्व अभिलेखों में भूमि संबंधी अमलदरामद सहबन गलत दर्ज हुये है जिन्हे अप्रार्थी सं. 1 दुरूस्त करवा सही अमलदरामद करवा पाने का विधिक अधिकारी है। प्रार्थी के पिता [illegible] ने अपने जीवनकाल में समूचित प्रतिफल पेटे जरिये पंजीकृत [illegible]नामा दिनांक 04–05–2002 अपनी खातेदारी व बंटवारा [illegible] चक 23 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर के तत्कालीन खाता 10/35 मु.नं. 38 के किला नंबर [illegible] की जगह छोड़कर चिपती [illegible] के उत्तर पूर्व की ओर सरकारी व [illegible] जिस पर तब से लेकर वर्तमान भूमि 0.005है0 विक्रय कर कब्जा सुपुर्द वि[illegible] व साधिकार काबिज चला आ रहा तक अप्रार्थी सरदूल सिंह निरन्तर, लगातार व साधिकार काबिज चला आ रहा है और भूमि की समूचित सिंचाई के लिये अपना ट्यूवेल स्थापित कर उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। जिससे भूमि के बाजार भावों में उत्तरोतर वृद्धि होने व भूमि की अच्छे लोकेशन के चलते इसे हथियाने के लिये राजस्व अभिलेखों खसरा नक्शा व जमाबंदी आदि में किला नंबर 6 के दक्षिणी पासा की बजाये उतरी पासा में प्रार्थी की 0.223है. भूमि किला नंबर 5/1 के तौर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

पर व खाला 0.025है. 5/3 के रूप में व अप्रार्थी सरदूल सिंह की 0.005है. किला नंबर 5 के उत्तरी पासा की बजाये दक्षिणी पासा की 5/2 के रूप में राजस्व कर्मियो की सहबन हुई मानवीय लिपिकिय भूल व कम्प्यूराईज्ड होने दौरान हुवे गलत अंकन का प्रार्थी बेजा नाजाजय लाभ विधिवत उठाने की कुचेष्टा अन्तर्गत यह प्रकरण पेश किया गया है जबकि प्रार्थी के पिता द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को जरिये पंजीकृत बैयनांमा उक्त भूमि के बेचान व बेचान अन्तर्गत दिये गये उक्त कब्जा का शुरू से ही भलीभांती ज्ञान व जानकारी होने से प्रार्थी माननीय न्यायालय में स्वरथ हाथो से नही आया है ना ही सद्भावी है। अप्रार्थीगण कब्जा काश्त अनुसार विधिवत् बंटवारा व खाता विभाजित करवाने के कानूनन अधिकारी है। दिनांक 04–05–2002 के उपरांत से प्रार्थी के पिता अपने जीवनकाल में व उनके देहान्त उपरांत प्रार्थी या अन्य वारिसान कभी भी मुरब्बा नंबर 38 के किला नंबर 5 के उत्तरी दिशा में सरकारी खाला व पूर्वी दिशा की घरेलू आड़ (खाला) से चिपते 0.005है. रकबा पर काबिज काश्त नही रहे बल्कि अप्रार्थी सं. 1 साधिकार, निरन्तर, लगातार व निर्बाध रूप से खरीदशुदा खातेदार की हैसितय से काबिज चला आ रहा है ओर भारी शारीरिक मेहनत व खर्चा लगाकर ट्यूववेल लगाते हुये उपयोग–उपभोग कर रहा है। प्रार्थी के किला नंबर 5 में दक्षिणी दिशा का रकबा किला नंबर 6 से चिपता पर कब्जा काश्त अवश्य है। इसीप्रकार उपरोक्त रकबा वाके चक 23 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर के संयुक्त खाता संख्या 112 में पत्थर नंबर 159/411 मुरब्बा नंबर 38 के किला नंबर 5/2 की 0.005 है., 6/1 की 0.231 है. वा 15/2 की 0.0220 है. कुल खाता योग 0.2580है. नहरी खातेदारी में अप्रार्थी जगदीश सिंह के 13/129 हिस्सा अर्थात 0.026 है. अनुसार किला नंबर 6/1 की 0.004 है. पश्चिमी पासा व 15/2 की 0.022 है. कुल 0.026है, अप्रार्थी बलवीर सिंह के 17/86 हिस्सा अर्थात 0.051 है. अनुसार किला नंबर 6/1 की 0.051 है. अप्रार्थी जगदीशसिंह से चिपता पूर्वी तरफ, अप्रार्थी सतनाम सिंह के 151/258 हिस्सा अर्थात 0.151है. अनुसार किला नंबर 6/1 में 0.151 है0 अप्रार्थी बलवीर सिंह से चिपते पूर्वी तरफ व सरदूल सिंह से चिपते पश्चिमी तरफ एवं अप्रार्थी सरदूल सिंह को उसके 5/43 हिस्सा अर्थात 0.030 है. अनुसार किला नंबर 5/1 की 0.005है. पूर्वी पासा उतर से दक्षिण घरेलू आड़ (खाला) से चिपते व किला नंबर 6/1 की 0.025है. पूर्वी पासा उतर से दक्षिण पर काफी सालो से काबिज काश्त चले आ रहे है इसी अनुसार विधिवत बंटवारा करवा खाता विभाजित करवा पाने के अप्रार्थीगण विधिक अधिकारी है। राजस्व अभिलेखों में गलत अंकन हो जाने से प्रार्थी के मन में लालचवश बंदयाती आने से अप्रार्थी सं. 1 को जबरन बलपूर्वक व विधिविरूध तरीके से बेदखल करते हुये अवरोध पैदा कर उक्त भूमि मय ट्यूववेल हथियाने पर अमादा है, जबकि किला नंबर 5 में अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त की उक्त भूमि के अलावा अन्य भूमि के किसी भू–भाग पर प्रार्थी का कोई ट्यूववेल नही लगा हुआ है। प्रार्थी मनमाने व मनमजीपूर्ण तरीके से अपना कब्जा दर्शाकर विधिवत बंटवारा व खाता विभाजन करवा पाने का विधिक अधिकारी नही है ना ही इस बारे में अप्रार्थीगण से दिनांक 07–09–2024 को [illegible] तो अन्य बातों व धमकी देने का सवाल ही पैदा नही होता [illegible] वाद की तकमील पूरी करने के लिहाज से झूठे [illegible] अप्रार्थीगण के विरूध कोई बिनाये दावा बिनाये मुखासमत [illegible] अप्रार्थीगण ने कब्जा काश्त अनुसार विधिवत बंटवारा के अनुरोध पर [illegible]तटः टालमटोल करते हुये करते हुये मनमाने व मनजीपूर्ण वांछित अनु[illegible] प्राप्ति हेतू यह वाद गलत आधारो पर पेश कर दिया। इसलिये वाद प्रार्थी काबिल निरस्ती के है। राजस्व रिकॉर्ड में दुरूर्ती करवाते हुये कब्जा काश्त अनुसार विधिवत बंटवारा व खाता विभाजन करवा पाने के अप्रार्थीगण विधिक अधिकारी होने से वांछित अनुतोष पाने के लिये काऊटर क्लेम पेश कर रहे है। इसलिये प्रार्थी को किसीप्रकार की अपूर्णिय क्षति होने का कोई अन्देशा नही होने से ना तो वह वाद लाने का कानूनन अधिकारी है और ना ही वह निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। प्रथम

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी सद्‌भावी नही है ना ही क्लीन हेण्ड से न्यायालय में आया है उसने वाद मिथ्या व आधारहीन तथ्यो पर अप्रार्थीगण को नाहक हेरान परेशान करने व बेजा नुकसान पहुंचाने के आशय से पेश किया है, जो काबिल निरस्ती के है ओर मिन अप्रार्थीगण विशेष हर्जाना प्रार्थी से पाने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी के पिता करनैल सिंह ने अपने जीवनकाल में समूचित प्रतिफल पेटे जरिये पंजीकृत दस्तावेज वैयनांमा दिनांक 04–05–2002 अपनी खातेदारी व बंटवारा में प्राप्त रकबा में से चक 23 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर के तत्कालीन खाता 10635 का मुरब्बा नंबर 38 के किला नंबर 5 के उत्तर पूर्व की ओर सरकारी व घरेलू खाला की जगह छोड़कर चिपती भूमि 0.005है0 विक्रय कर कब्जा अप्रार्थी सं. 1 को सुपुर्द किया, जिस पर तब से लेकर वर्तमान तक अप्रार्थी सरदूल सिंह निरन्तर, लगातार व साधिकार काबिज चला आ रहा है और उसने काफी शारीरिक मेहनत व भारी रकम खर्च करते हुये अपनी अन्य कृषि भूमि की समूचित सिंचाई के लिये अपना ट्यूवेल स्थापित कर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। टयूववेल स्थापित होने से एवं बाजार भावों में उत्तरोतर वृद्धि होने व भूमि की अच्छे लोकेशन के चलते इसे हथियाने के लिये राजस्व अभिलेखों खसरा नक्शा व जमाबंदी आदि में किला नंबर 5 के दक्षिणी पासा की बजाये उतरी पासा में प्रार्थी की 0.223 है. भूमि किला नंबर 5/1 के तौर पर व खाला 0.025है. 5/3 के रूप में व अप्रार्थी सरदूल सिंह की 0.005है किला नंबर 5 के उतरी–पूर्वी पासा की बजाये दक्षिणी पासा की 5/2 के रूप में राजस्व कर्मियो की सहबन हुई मानवीय लिपिकिय भूल व कम्प्यूराईज्ड होने दौरान हुवे गल्त अंकन का प्रार्थी बेजा नाजाजय लाभविधिवत उठाने की कुचेष्टा अन्तर्गत यह प्रकरण पेश किया गया है जबकि प्रार्थी के पिता द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को जरिये पंजीकृत बैयनांमा उक्त भूमि के बेचान व बेचान अन्तर्गत दिये गये उक्त कब्जा का शुरू से ही भंलीभांती ज्ञान व जानकारी होने से प्रार्थी माननीय न्यायालय में स्वस्थ हाथो से नही आया है ना ही सद्‌भावी है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से इसलिये प्रार्थना–पत्र काबिल निरस्ती के है। प्रार्थी सद्‌भावी नही है ना ही क्लीन हेण्ड से न्यायालय में आया है उसने वाद मिथ्या व आधारहीन तथ्यो पर अप्रार्थीगण को नाहक हेरान परेशान करने व बेजा नुकसान पहुंचाने के आशय से पेश किया है, जो काबिल निरस्ती के है ओर अप्रार्थीगण विशेष हर्जाना प्रार्थी से पाने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जाने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार टिनेंट है तथा राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में तरमीम अनुसार प्रार्थी काबिज है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर बेजा मदाखलत कर कब्जा करने एवं प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि के मौका एवं रिकार्ड में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के अभिवचनों को दोहराया तथा कथन किया कि राजस्व नक्शा में गलत तरमीम संहबन से होने का कथन किया एवं प्रार्थी के पिता के द्वारा किये गये बैयनामा दिनांक 04.05.2002 का प्रार्थी द्वारा न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रार्थी के द्वारा क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आने तथा राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि को आधार बनाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र मय खर्चा हर्जा खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत छायाप्रति जमाबंदी अनुसार चक 23 जीबी प.नं. 159/411 मु.नं. 38

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

कि.नं. 5/1/0.223है. नहरी, 5/3/0.025है. खाला व 6/2/0.022है. नहरी भूमि प्रार्थी नक्षत्र सिंह के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा का अवलोकन किया। प्रार्थी का कथन है कि राजस्व नक्शा में तरमीम अनुसार ही वे काबिज काश्त है जिसमें अप्रार्थीगण मदाखलत बेजा करना चाहते है से उन्हें वर्जित किया जावे। इसके विपरीत अप्रार्थीगण का कथन कि राजस्व नक्शा में गलत तरमीम है जबकि प्रार्थी के पिता के द्वारा अप्रार्थी को भूमि विक्रय के समय तथा भूमि के खाता विभाजन के समय जो कब्जा काश्त था वही सही है अब प्रार्थी राजस्व नक्शा में गलत तरमीम हो जाने को आधार बनाकर वाद /प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है जो खारिज योग्य है। अप्रार्थीगण की ओर से छायाप्रति बैयनामा करनैल सिंह वहक सरदूल सिंह दिनांक 04.05.2002 दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिसमें विक्रेता प्रार्थी के पिता द्वारा अंकित किया गया है कि "घरू बांट व कब्जा काश्त अनुसार मु.नं. 38 कि.नं. 5 के उत्तर पूर्व की ओर सरकारी व घरेलू खाला की जगह छोड़कर चिपती जगह 0.005हे. है।" अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज छायाप्रति प्रतिवेदन तहसीलदार श्रीविजयनगर प्रतिवेदन जिसके द्वारा कि.नं. 5 में तरमीम दुरूस्ती करने हेतु अनुशंषा की गयी है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रति आवेदन पत्र आदि जो कि प्रार्थीगण गुरदेव सिंह आदि द्वारा सहमति से बंटवारा हेतु तहसीलदार श्रीविजयनगर को प्रस्तुत आवेदन पत्र आदि का अवलोकन किया। जिसके अनुसार करनैल सिंह, गुरदेव सिंह, सरदूल सिंह, बलवीर सिंह, सतनाम सिंह की आपसी सहमति से भूमि का विभाजन आदेश तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा जारी किया गया है। तहसीलदार श्रीविजयनगर की रिपोर्ट एवं खाता विभाजन की पत्रावली के नक्शा में दर्शायी तरमीम तथा प्रार्थी के द्वारा अपनी पत्रावली के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शायी तरमीम जो वर्तमान रिकार्ड में है में भिन्नता है। प्रस्तुत छायाप्रति बैयनामा एवं खाता विभाजन पत्रावली के दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थी के पिता के द्वारा भूमि विक्रय के समय बैयनामा में अंकित रकबा तथा भूमि का विभाजन करवाने के समय भूमि की कब्जा काश्त/भौतिक स्थिति तथा वर्तमान रिकार्ड/नक्शा में तरमीम में भिन्नता है। प्रार्थी वर्तमान रिकार्ड नक्शा में तरमीम के आधार पर अनुतोष चाहता है जबकि प्रार्थी के पिता के द्वारा जब उक्त भूमि उनकी खातेदारी में थी भूमि विक्रय एवं विभाजन करवाते समय अपनी सहमति प्रकट की गयी थी, जिस पर अप्रार्थीगण सहमत है। तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा भी तरमीम दुरूस्ती हेतु अनुशंषा प्रेषित की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं हैं। प्रार्थी के द्वारा विवादित भूमि पर ही उनका कब्जा काश्त होने अथवा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता हो। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण अपनी अपनी भूमि के खातेदार दर्ज है यदि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों कारक अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहे है। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश :-

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.09.2024 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 11.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर